


प्रतिलिपि के लिए  
आवेदक की तारीख

स्टाम्प और फोलि  
की अपेक्षित संख्या न  
करने की निश्चित त



तारीख जबकी देने के लिए  
प्रतिलिपि तैयार थी

आवेदक को प्रतिलिपि  
देने की तारीख

|                                  |   |  |   |   |
|----------------------------------|---|--|---|---|
| Date of Application for the copy | Date fixed for no the requisite number of stamps and folios | Date of delivery of the requisite stamp & folios | Date on which the copy was ready for delivery | Date of making over the copy to the applicant |
| 25/1/16                          | 25/1/16   | 26/1/16  | 26/1/16                                       | 26/1/16                                       |

FOLIO NOT AVAILABLE

रखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

1898

खाला नं० 221/... वार्ड सं० 9... जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

| खतियान की क्रम सं० | अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास | खेत                           |       | भूमी का स्वरूप   | रकबा हे० आर० सं०                                    | अभ्युक्ति | स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो |   | (1) अधियोगी श्रेयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि।<br>(2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ)<br>(3) कोई विशेष शर्त और अनुबंधत बात यदि हो।  |
|--------------------|--|-------------------------------|-------|--|---|-----------|--|---|--|
|                    |  | खेसरा संख्या                  | चौहदी |  |   |           | गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है                           | राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस |  |
| 1                  | 2  | 3                             | 4     | 5  | 6   | 7         | 8  | 9   | 10   |
| 221                | दिलीव अईमर<br>पिता संतोष अईमर            | 1898<br>a<br>b<br>c<br>d<br>e |       | मकान मकान<br>मकान मकान<br>मकान मकान<br>सदन<br>गोड़ा एक | 0.00.40<br>0.00.60<br>0.00.40<br>0.05.50<br>0.08.50 |           |  |   | नोट<br>सी.एन.टी.एक्ट धारा 85(2)(i) के मुकदमा नं. 29(R)<br>2000-2001 के आदेशानुसार 197-रु 80 में (एक से<br>संज्ञान के रूप में अस्सी पैस अलावे होस लगान निर्धारण<br>हुआ। निर्धारण लगान सन 1998-99 से वसूल हो<br>रु अक्षय<br>राजस्व पदाधिकारी |
| जो                 |  |                               |       |  | 0.15.40   |           |  |   | (i) काममी  |

प्रतिलिपि  
26/2/16

तुलना किया  
26/2/16

Certified to be True Copy  
Head Clerk to the Settlement office  
is authorized U/s 76 of the  
Indian Evidence Act, 1872

48 स्वयं अभिलेख छोटानापुर कस्तकारी अधिनियम  
1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा  
नगरपालिका सर्वेक्षण अधिनियम 1920 के धारा 10(1)  
के अन्तर्गत तैयार हुआ और एका अभिनय प्रकथन  
दिनांक 10. Aug. 1929. ....के द्वारा किया गया  
अंतिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 18. Sep. 1929  
के अस्तित्व में है

